सुविधा | नवभारत द्वारा लंबे समय से चलाई जा रही मुहिम लाई रंग

आफिसर्स मेस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू

जबलपुर, नवभारत। आखिरकार शहरी यातायात को संभालने और व्यवस्थित बनाने के लिए कैंट बोर्ड द्वारा सिग्नल मेस 2 टीटीआर चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए गए है। ये ट्रैफिक सिग्नल विगत रविवार से शुरू भी हो चुके है। ये ट्रैफिक सिग्नल सोलर पैनल से चलेंगे और इसमें अपग्रेडेट तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह कार्य छावनी परिषद द्वारा पीपीपी मोड से कराया गया है और इसका कमांड सेंटर छावनी परिषद में बनाया गया है। बता दे कि छावनी परिषद पहली बार पूरी तरह से आटोमैटिक ट्रैफिक सिग्नल के साथ दो प्रमुख चौराहों को नया आकार देने जा रहा है। जिसमें से पहला 2 टीटीआर चौराहा और दूसरा पेंटीनाका चौराहा शामिल है। इन चौराहों में वाईफाई का प्रयोग भी किया जाएगा। मालूम हो कि नवभारत द्वारा समय समय पर 2 टीटीआर चौराहे पर लगते जाम और होते हादसों को लेकर जिम्मेदारों को अवगत कराया जाता था। जिस पर छावनी परिषद ने फैसला लेते हुए इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया है।

स्वचालित है सिग्नल्स

बता दे कि सदर क्षेत्र में इससे पहले स्वचालित ट्रैफिक सिग्नल अभी तक स्थापित नहीं किया गया था। सदर क्षेत्र के दोनों चौराहों पर स्वचालित ट्रैफिक सिग्नल लग जाने से यातायात को सुगम बनाने की में मदद मिलेगी। आधुनिक तकनीक वाले ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन और रेड लाइट का समय निर्धारित नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रैफिक सिग्नल वाहनों की संख्या के अनुसार सिग्नल बदलेगा। वर्तमान में ट्रैफिक सिग्नल पर एक निश्चित समय के लिए लाइट जलती रहती है। रेड लाइट होने पर सिग्नल 90 सेकंड तक जलता है, चाहे वहां वाहन हो या नहीं। इससे लोगों को कई बार अनावश्यक रूप से ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ता है। नए सिस्टम में सिग्नल तभी रेड होगा, जब तक वाहनों की संख्या अधिक नहीं होगी। कमांड कंट्रोल एंड कम्यूनिकेशन सेंटर में वीडियो सर्विलांस, पुलिस सर्विलांस को कनेक्ट किया जाएगा।

दो दुकानों का ताला तोड़कर चोरी

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत सरगवां एवं सिहोरा में किराना दुकानों का ताला तोड़कर चोर किराना समेत अन्य सामान चुराकर ले गए। पनागर पुलिस ने बताया कि चंद्रहास पटेल 37 वर्ष निवासी ग्राम सरगवां ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अपने घर में किराना दुकान चलाता है। बीती रात 2 से 3 बजे के बीच उसके पिता उठे तो देखे कि किराना दुकान का चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था पिता के उठने पर जाकर देखा तो किराने का सामान कीमती 40 हजार रूपये का गायब था इसी प्रकार सिहोरा थाने में अनिल कुमार झारिया 42 वर्ष निवासी दिनारी खमरिया ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी गाँव की मेन रोड किराने टीन की गुमटीनुमा किरान दुकान है बीती रात बंद कर घर आ गया था सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि गुमटी में लगा ताला टूटा था, गुमटी के अंदर रखा एक गैस सिलेण्डर, गैस चूल्हा, तथा कॉपी किताब, पैन, चिप्स, शक्कर, तेल आदि गायब था। कोई अज्ञात चोर दरम्यिानी रात में सिलेण्डर चूल्हा एवं किराने का सामान चुरा ले गया है।

तीन दिन से झोपड़ी में चक्कर काट रहा था चार फीट लंबा धामन सांप

जबलपुर। गोराबाजार थानांतर्गत तिलहरी निवासी बसंत पटवा का झोपड़ी नुमा मकान में तीन दिन से एक चार फीट लंबा धामन प्रजाति का सर्प झोपड़ी के अंदर यहां वहां फैले पड़े कपड़ों के ढेर में छिपकर रात भर चूहे पकड़ने यहां से वहां भागता हुआ परिजनों के बीच दहशत का पर्याय बना हुआ था। आज सांयकाल 5 बजे जब सांप मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा था, तभी बसंत ने सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को सूचना दी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।

इधर घर में निकला सांप- इसी तरह संजीवनी नगर थानांतर्गत गंगानगर गणेश मैदान के पास रहने वाले आदेश पटेल के घर में दोपहर तीन बजे एक तीन फीट लंबा सांप होने की सूचना पर पहुंचे श्री दुबे ने रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, पटेल के घर में पकड़ा गया।

हाईवे किनारे शराब दुकानों को चुनौती पर जवाब तलब

हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य शासन सहित अन्य को जारी किये नोटिस

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने हाईवे के किनारे संचालित शराब दुकानों को चुनौती के मामले में जवाब-तलब किया है। युगलपीठ ने मामले में केंद्र व राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किये है। जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। मामले में केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, प्रदेश के आबकारी आयुक्त व आबकारी सचिव को भी पक्षकार बनाया गया है।

यह जनहित का मामला राजधानी भोपाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राशिद नूर खान की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राजमार्गों के किनारे शराब दुकानें होने से ट्रक चालक और अन्य यात्री शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं और लोगों की जान जा रही है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानें खुलेआम चल रही हैं, जो आदेश का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए याचिका के साथ शराब दुकानों की तस्वीरें और दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। आवेदक की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश है कि राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई शराब दुकान नहीं चल सकती, न ही वह राजमार्ग से दिखनी चाहिए और न ही उसकी सीधी पहुंच होनी चाहिए। एक जून 2017 को केंद्र सरकार ने इस आशय का सर्कुलर जारी किया था। फिर भी मध्य प्रदेश में 2025-26 की नई आबकारी नीति में भी कई दुकानें का नवीनीकरण कर दिया गया और नई दुकानें राजमार्गों के पास ही आवंटित की गई हैं। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

पन्ना के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती को हाई कोर्ट ने किया निलंबित

जबलपुर। हाई कोर्ट ने पन्ना के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती को निलंबित कर दिया है। पन्ना के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह को सौंपी गयी है। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने दमोह के जिला सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिंह सिसोदिया के विरुद्ध निलंबन करने की कार्रवाई थी। दोनों जिला सत्र न्यायाधीश के निलंबनों की वास्तविक वजह की अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गयी है। सूत्रों के अनुसार पन्ना कलेक्टर द्वारा अवैध खनन मामले में एक अरब से अधिक का जुर्माना लगाने के आदेश को निरस्त करने के संबंध में उक्त कार्यवाही की गयी है। पूर्व में पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने मेसर्स डायमंड स्टोन क्रशर के मालिक कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित पर अवैध खनन मामले में एक अरब से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया था। यह कार्रवाई उप संचालक खनिज प्रशासन और गुनौर के एसडीएम की जांच रिपोर्ट में गिट्टी के अवैध खनन की शिकायत को गंभीरता से लेकर की गई थी। दीक्षित ने इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष बताते हुए इसे जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने आदेश को चुनौती देते हुए अदालत की शरण ली थी और उन्हें अदालत से राहत मिल गयी थी। हाईकोर्ट की निलंबन कार्यवाही को इस जोड़कर देखा जा रहा है।

बीएलए का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

पनागर। गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य(SIR) पनागर ब्लॉक के बी.एल.ए.का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोनिया पैलेस बारात में रखा गया जिसमें बी.एल.ए.को फॉर्म भरने का तरीका एवं वोटर लिस्ट 2003 के बारे में जानकारी दी गई साथ ही नए मतदाता को जोड़ने के बारे में जानकारी दी गई छतरपुर, घाना, सोनपुर, सुंदरपुर, पिपरिया, मटामर एवं कुसनेर, मोहनिया के बी एल ए उपस्थित रहे कार्यक्रम में ब्लॉक के नए प्रभारी राजेश पटेल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष,सुश्री रुक्मणी गोटिया जिला प्रभारी, विवेक पटेल महाराजपुर ब्लॉक प्रभारी ने संबोधित किया साथ ही प्रोजेक्टर पर पूरी जानकारी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव,विमल जैन राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि, बाबू खान ने दी कार्यक्रम में संतोष पटेल, विजय पटेल,मनीष यादव, खूबचंद यादव, राजेश पटेल, जयकुमार सोनी,राधेलाल साहू, सानू खरे, कुंदन सिंह,आनंद यादव,मनोज कोल,भगवान सिंह, रविंद्र पटेल,अजय यादव,राजेंद्र महोबिया, सुरेंद्र तिवारी,सचिन तिवारी, सोन्टू जैन,सिद्धीक अली, हरि किशन केवट, नरेश रजक, रामदास पटेल, विजय पटेल, अखिलेश सिंह,मनीषा सवरवाल, भारतीय भूमिया,धर्मेंद्र राय,संतोष प्रजापति,आकाश प्रजापति,जितेंद्र कुशवाहा लगभग आधा सैकड़ा बी एल ए उपस्थित रहे आभार प्रदर्शन विमल जैन राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि ने किया संचालन संजय श्रीवास्तव ने किया ।

मकान का ताला तोड़कर घुसी पुलिस, फांसी पर लटका मिला सतना का युवक

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत मीत चौराहा शास्त्री नगर स्थित एक किराये के मकान में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा कमरे का दरवाजा तुडवाया गया तो युवक फांसी से लटका मिला।

पुलिस के मुताबिक चेतन अविनाश सिह 20 वर्ष निवासी नेहरू नगर गढा ने बताया कि उसका दोस्त अरसान हासमी 20 वर्ष जो मूलतः नाजिराबाद नई बस्ती सतना का जबलपुर में तिलवरा शास्त्री नगर स्थित मीत चौक के पास किराये के मकान मे रहकर ज्ञान गंगा कालेज में पढाई करता था । वह दोस्त अरसान से मिलने उसके कमरे पहुंचा एवं आवाज लगा काफी अवाज लगाने पर दरवाज नहीं खुला तो उसने खिडकी का पल्ला खोलकर देखा तो अरसान कमरे में पंखे में चादर से फांसी के फंदे पर लटका दिखा जिसकी मौत हो गयी।

मृतक ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

इधर महिला ने लगाई फांसी

गढा थाना अंतर्गत अंजली छाया शाहीनाका में रहने वाली एक महिला ने फांसी लगाकरआत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि हनी पटेल 37 वर्ष निवासी दया नगर मदनमहल ने सूचना दी कि उसकी बहन श्रीमति आशिमा कुशवाह 41 वर्ष की 17 वर्ष पूर्व शादी हुई थी जो अपनी ससुरा अंजली छाया शाहीनाका में रहती है। दुर्गा कालोनी में ब्यूटी पार्लर चलाती है। गुरुवार सुबह बहन आसिमा ने फांसी लगाकर जान दे दी।

एसआईआर के प्रति रैली निकालकर किया गया जागरूक

नवभारत,जबलपुर। हवाबाग कॉलेज में ईएलसी सदस्य व विद्यार्थियों द्वारा रैली का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से आम जनता को एसआईआर के प्रति जागरूक किया गया और बताया गया कि वे 2003 की मतदाता सूची में अपनी जानकारी कैसे देखें, गणना पत्र कैसे भरें। अभियान में कॉलेज की प्रबंधिका एलसी सिलास, प्रभारी प्राचार्य डॉ. अशोक सोनी, डॉ. नीलिमा दुबे, डॉ. भारती शुक्ल, डॉ. सीमा सिंह सहित कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा।

पूर्व न्यायमूर्ति स्व .धर्माधिकारी का किया पुण्य स्मरण

नवभारत,जबलपुर । जीएस महाविद्यालय परिसर में गुरुवार को पूर्व न्यायमूर्ति स्व. चन्द्रशेखर धर्माधिकारी के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया तथा सभागार भवन में एक स्नेहिल संस्मरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सत्यरंजन धर्माधिकारी डी.एम. धर्माधिकारी तथा आशुतोष धर्माधिकारी ने अपने संस्मरण साझा करते हुए छात्रों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को धर्माधिकारी के प्रेरणादायी एवं आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व का स्मरण कराया। इस अवसर पर डॉ. अमरेन्द्र पाण्डेय द्वारा धर्माधिकारी के जीवन, कार्य और विचारों पर आधारित पीपीटी प्रस्तुति भी प्रदर्शित की गई।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. पाण्डेय ने महाविद्यालय में स्व. चन्द्रशेखर धर्माधिकारी जी के नाम से जिम स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की, जिससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एन.सी. त्रिपाठी, उप-प्राचार्य, समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अमरेन्द्र पाण्डेय, प्रबंधमंत्री, शिक्षा मंडल म.प्र. शाखा जबलपुर ने किया।

देशभर में हनुमान चालीसा वेलनेस केन्द्रों का होगा विस्तार

नवभारत,जबलपुर। विश्व हिन्दू परिषद के वरिष्ठ नेता प्रवीण तोगड़िया ने गुरूवार को जबलपुर प्रवास के दौरान बड़ा ऐलान किया कि देशभर में हनुमान चालीसा वेलनेस केन्द्र खोले जाएंगे। उनका कहना है कि इन केंद्रों का काम पहले ही देश में शुरू हो चुका है और वर्तमान में 15 हजार से अधिक केंद्र संचालित हो रहे हैं। तोगड़िया ने कहा, हमारी कोशिश है कि इन वेलनेस केन्द्रों की संख्या एक लाख से अधिक तक पहुँचाई जाए। इन केंद्रों में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महाकोशल के दौरे के दौरान इस पर गहन विचार मंथन किया जा रहा है। यह केंद्र हर शनिवार को आयोजित किए जाएंगे और इनके माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम भी किया जाएगा। मतदाता सूची के संबंध में उन्होंने कहा कि निष्पक्षता के साथ इसे तैयार किया जा रहा है। इसके तहत उन लोगों को हटाया जाएगा जिनके नाम दो-तीन जगहों पर सूची में दर्ज हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सूची में उन मतदाताओं को सुरक्षित रखा जाएगा, जो पहले से मतदान करते आ रहे हैं। तोगड़िया के इस प्रस्ताव और योजना से शहर में स्वास्थ्य और सामुदायिक जागरूकता के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।

रानी लक्ष्मी बाई जयंती पर अभाविप ने बनवाई रंगोली

नवभारत, जबलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की 197वीं जयंती के पावन अवसर पर 12 फीट की भव्य, आकर्षक एवं अत्यंत मनोहारी रंगोली का निर्माण कल्चरल स्ट्रीट, जबलपुर में किया गया। यह भव्य रंगोली रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य शौर्य, राष्ट्रभक्ति, बलिदान और अप्रतिम वीरता को नमन करती हुई उनकी गौरवगाथा का अनूठा चित्रण प्रस्तुत करती है। रंग-बिरंगे रंगों से सजी यह विशाल कला कृति छात्रों में देशभक्ति की भावना प्रज्वलित करने वाली रही।

साईं मंदिर के स्थापना दिवस पर हुए विविध कार्यक्रम

बेलखाडू। साईं भक्तों द्वारा लगभग 9 वर्ष पूर्व बेलखाडू से पनागर रोड पर एक भव्य मंदिर का नव निर्माण कराया गया था जिसमें शिरडी के साईबाबा की मूर्ति स्थापित की गई थी। गुरुवार को स्थापना दिवस पर दूर दूर से साईं बाबा के भक्त सुबह से लेकर शाम तक मन्दिर पहुंचे और पूजा अर्चना की । मंदिर में जहां एक ओर भंडारे प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया वही दूसरी भजन मंडली द्वारा भक्ति गीतो की संगीतमय प्रस्तुति चलती रही। इस अवसर पर विशेष रूप से महेंद्र साहू, दिनेश साहू, इंद्र सिंह राजपूत, रजनीश नगाइच, आनंद शिवहरे, अरविंद साहू, मदन पटेल, राकेश साहू, लखन साहू, रवि पटेल, ब्रजेश मिश्रा, मोनू यादव, डॉ सरिता साहू, सहित बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चे भी उपस्थित रहे।

निधन

जयंती बाई तनखीवाले

नवभारत, जबलपुर। विजन जबलपुर परोहा बिल्डर्स विजयनगर निवासी जयंती बाई तनखीवाले का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे स्वर्गीय सी. वाय. तनखीवाले की पत्नी, डा. जयंत तनखीवाले की माताजी, एसजी धांडे की सास और सुबोध व योगेश धांडे की नानी थीं। अंतिम संस्कार यात्रा 21 नवम्बर को प्रातः 10 बजे निवास स्थान से ग्वारीघाट मुक्तिधाम के लिए प्रस्थान करेगी।

सावित्री केवट

नवभारत, जबलपुर। मकान नंबर 1898 भोलेभवन कांचघर निवासी 62 वर्षीय श्रीमती सावित्री केवट का निधन हो गया है। आप छगनलाल केवट की धर्मपत्नी थी। अंतिम संस्कार करिया पाथर मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रांझी, जबलपुर

रा.प्र.क्रं.//1061/अ-6 /2025-2026

आम इश्तहार

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. राजशेखर पांडे डॉ. स्व. बुलाती लाल पांडे नि. 56 डेनिंग रोड, दैनिक भास्कर प्रेस साउथ सिविल लाईन ने नजूल ब्लाक नं. 22 प्लाट नं. 7/15 निर्मित रकवा 3162 व.फु./ फौती के आधार पर दिनांक 01/03/2004 मृत्यु दिनांक 05/10/2010 को हो जाने के कारण वारसान हक/क्रय उपरांत नाम दर्ज किये जाने का आवेदन पत्र, खसरा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। प्रकरण में आवेदक द्वारा संलग्न नजूल संधारण खसरा/पटवारी/ डायवर्सन खसरा अनुसार नजूल ब्लाक नं. 22 प्लाट नं. 7/15 निर्मित रकवा 3162 व.फु./अवि. हिस्सा ग्राम सिविल स्टेशन, रकवा 3162 व.फु. के नाम दर्ज है।

अतः किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से दिनांक 01/12/2025 को इस न्यायालय तहसील रांझी जबलपुर में प्रस्तुत कर सकता है। नियम दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्तिकर्ता की आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

इश्तहार आज दिनांक 14/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

जारी दिनांकः- 14/11/2025

पेशी दिनांकः-01/12/2025

(तहसीलदार) रांझी, जबलपुर

आम सूचना / Public Notice

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुधा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोल बाजार, जबलपुर (म. प्र.) वर्ष 1995 से 2020 तक के सभी भर्ती मरीजों के रिकॉर्ड समाप्त किए जा रहे हैं। यदि किसी भी मरीज अथवा मरीज के परिजनों को इन रिकॉर्ड्स की आवश्यकता हो, तो वे इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर अस्पताल प्रबंधन से संपर्क करें। 15 दिनों के बाद किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ / रिकॉर्ड की मांग या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सुधा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोल बाजार जबलपुर
अस्पताल प्रबंधन

श्रीरामचरित मानस सामूहिक सुंदरकांड पाठ आज

नवभारत,जबलपुर। मानस मंडल ने अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश पर नेमा समाज भवन में 8 से 16 नवंबर तक सामूहिक श्रीरामचरितमानस नवान्हपारायण पाठ का आयोजन किया। डॉ. गोविन्द प्रसाद नेमा के मार्गदर्शन में प्रतिदिन दोपहर 3 से 5 .30 बजे तक आयोजित पाठ में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिदिन तीन प्रतिभागियों ने चयनित प्रसंगों पर अपने विचार व्यक्त किए। समापन दिवस पर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम नेमा की अध्यक्षता में हुआ। आय-व्यय विवरण महेश कुमार नेमा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एड. संजय नेमा ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि आचार्य महामहोपाध्याय डॉ. हरीशंकर दुबे ने जीवन में रामचरितमानस के आचरणीय संदेशों को अपनाने पर बल दिया। कार्यक्रम में डॉ. राजेंद्र नेमा, कैलाश नेमा, द्वारका प्रसाद नेमा, देवेंद्र नेमा सहित अनेक पदाधिकारियों का सहयोग रहा। रामचरितमानस प्रचार-प्रसार में सक्रिय व्यक्तियों को 'मानस सेवी सम्मान' प्रदान किया गया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में डॉ. संगीता नेमा, डॉ. नेहा शाक्य एवं नीता गुप्ता क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहीं। आगामी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की तैयारी हेतु 21 दिसंबर को 100 परिवारों द्वारा सामूहिक सुंदरकांड पाठ प्रस्तावित किया गया। कार्यक्रम का समापन महाआरती एवं महाप्रसादी के साथ हुआ।

(अंकिता त्रिपाठी) तैंतीसवें सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जबलपुर (म.प्र.)

प्रो.आईडी-407/25 पेशी दिनांक-17.12.25

आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु (EXA/0000091/2025)

सम्मन

साधना सिंह-(वादी)
विरुद्ध
पद्मावती ठाकुर-(प्रतिवादी)

प्रेषिती:- (1) पद्मावती ठाकुर पति नरेन्द्र सिंह ठाकुर पता-मकान नंबर 460, 131 कमला नेहरू नगर गढ़ा रोड तह. व जिला जबलपुर मध्यप्रदेश।

यह कि प्रार्थी साधना सिंह ने आपके विरुद्ध इएक्स ए प्रतिवादी निर्णीत ऋणी को आदेशित किया गया है कि वह वाद ग्रस्त संपत्ति पटवारी हल्का नं. 35 42 ग्राम सुकरी तह. बरगी जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 72 2 रकवा 0.110 हेक्टेयर व खसरा नं. 71 रकवा 0.390 हे. कुल रकवा 0.50 हेक्ट. 32450 वर्गफुट का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र डिक्रीधारी के पक्ष में निष्पादित करें। के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के **30 दिवस** के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 20 नवंबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

(अंकिता त्रिपाठी) तैंतीसवें सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जबलपुर (म.प्र.)

कलेक्टर का सीयूजी मोबाइल नम्बर बदला

नवभारत, जबलपुर। राज्य शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर को दिया गया सीयूजी मोबाइल नम्बर बदल गया है। पूर्व में कलेक्टर जबलपुर का सीयूजी मोबाइल नम्बर 75879 70500 था। अब यह बदलकर 62691 13327 हो गया है।

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड ऑफिस : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंडला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071, ब्रांच ऑफिस- प्लाट नं. 131/01, ग्राउंड फ्लोर, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल (म.प्र.)-462011.

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के प्रवर्तन के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रावधान नियम 8 (6) और 9 के प्रावधान के साथ पढ़ें

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में गिरवी संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) जैसा है जहां है और जैसा है जैसा है पर आयोजित किया जाएगा निर्धारित तिथि पर यहां के तहत.

क्र.	लोन एकाउंट नं.	मूल देनदार/सह देनदार/ गारंटर का नाम	13-2 नोटिस तिथि	कब्जा तिथि	वर्तमान बकाया	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि ईएमडी रु. में	ई-नीलामी तिथि व समय	बिड जमा की अंतिम तिथि, समय व स्थान
1.	31209630000272	1. श्रीमती प्रेम बाई काछी पत्नी रिंकू काछी 2. श्री रिंकू काछी आत्मज गुलजारी काछी	16-7-2024	24-9-2025	रु. 4,08,767.80/- (रु. चार लाख आठ हजार सात सौ सड़सठ और पैसा अस्सी मात्र) 20-11-2025 को	20-12-2025 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 3,15,000/- (रु. तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र)	रु. 31,500/- (रु. इकतीस हजार पांच सौ मात्र)	22-12-2025 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	20-12-2025 को 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 131/01, ग्राउंड फ्लोर, एम.पी. नगर जोन-2, भोपाल म.प्र.-462011
	संपत्ति विवरण/अनुसूची- वह समस्त भूमि का टुकड़ा जो आबादी खसरा संख्या 175 का एक भाग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट (37.17 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण सहित, ग्राम सरसावां, पीएच संख्या 18/64, रा.न.म. महाराजपुर, तहसील पनागर एवं जिला जबलपुर (मध्य प्रदेश) में स्थित है. पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- खुली भूमि, उत्तर में- सोनू और दक्षिण में- खुली भूमि से घिरा है.									

संपत्तियाँ 'जहाँ है जैसी है' और 'जो है जैसी है जैसी है' के आधार पर रखी जा रही हैं और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी. उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान जन लघु वित्त बैंक के पक्ष में किए जाएँगे. नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क कर सकते हैं; श्री विकास केटेले से संपर्क करें, संपर्क संख्या- 8712637550। ईमेल आईडी- info@bankauctions.in / vikas@bankauctions.in. ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नियम व शर्तों की अधिक जानकारी और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित्त बैंक के अधिकारी श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) से संपर्क करें. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, इन संपत्तियों पर कोई भार नहीं है. हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार और संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में स्वतंत्र रूप से पूछताछ कर लेनी चाहिए. कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी. यह उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में भी एक सूचना है. उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक खर्चों सहित का भुगतान करें. ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा.

दिनांक- 21-11-2025, स्थान- जबलपुर | **ह./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**